1

परिशिष्ट- एक

कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग श्योपुर जिला श्योपुर (म.प्र.)

विधान सभा प्रश्न क्र. 679 अतारांकित की जानकारी:-

क्रमांक 2041/कार्य/ विधानसभा /2017-18/ श्योपुर, दिनांक 05/07/2017

प्रति,

उपसंचालक कृषि
जिला श्योपुर (म.प्र.)

विषयः-विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्र. 679 की संसोधित जानकारी प्रस्तुत करने वावत ।

उपरोक्त विषयातर्गत लेख है, कि विधान सभा अतांराकित प्रश्न क्रमांक 679 का प्रारूप उत्तर संसोधित तैयार कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
श्योपुर (म.प्र.)

T-1
5/7/17

2837
5.7.17

उत्तर भेजने का दिनांक 14.07.2017
बैठक का दिनांक 24.07.2017
विधान सभा प्रश्न क्रमांक 679 (तारांकित)
विधायक का नामः—श्री दुर्गालाल विजय
विषयः— असिंचित ग्रामों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना ।

प्रश्नः—

(क) क्या श्योपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत आर.एम.सी. के बायीं ओर बसे तीन दर्जन से अधिक ग्रामों में वर्तमान तक सिंचाई सुविधा के अभाव के कारण इन ग्रामों की हजारो हैक्टेयर भूमि असिंचित रहने के कारण इनमें निवासरत ग्रामीण आर्थिक दृष्टि से दयनीय जीवन जीने को विवश हो रहे है । इन्हें कई कठिनाईयां आ रही है ?

(ख) उक्त कठिनाईयों के निवारण हेतु उपसंचालक कृषि श्योपुर द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनांन्तर्गत पार्वती उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण का प्रस्ताव श्योपुर जिले की डी. आई.पी. में संचालनालय को भेजा था, जिसे दिनांक 22.12.2016 को संपन्न राज्य स्तरीय मंजूरी समिति की बैठक में अनुमोदित भी किया जा चुका है । लेकिन ई.ई.डब्ल्यू.आर.डी. श्योपुर द्वारा प्रति हैक्टेयर लागत ज्यादा होनें से योजना को असाध्य माना गया ?

(ग) यदि हां तो कृषकों के हित में क्या शासन, लागत राशि के मापदण्डों को शिथिल करते हुए अथवा योजना की लागत वैकल्पिक तकनीक अपनाकर कम करके योजना को स्वीकृति प्रदान करने के उपरांत केन्द्र सरकार से इसे अनुमोंदित करवाकर इसे बजट में शामिल करेगा तथा योजना का कार्य धरातल पर प्रारंभ करवाएगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तरः—

(क) यह कहना सही नही है ।

(ख) चंबल नहर किनारे 35 ग्रामों को पानी प्रदाय करने हेतु पार्वती उदवहन सिंचाई योजना प्रस्तावित थी । परन्तु प्रति हेक्टर लागत अधिक आने से योजना असाध्य हो गई । एवं पार्वती नदी के चंबल अभ्यारण के अधिसूचित क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत आने से कोई कार्य करने के पूर्व उच्चतम न्यायालय से स्वीकृति आवश्यक होगी ।

(ग) उपरोक्त "ख" अनुसार

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
श्योपुर —(म.प्र.)

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल